

(भारत के राजपत्र के भाग -I, खण्ड - 2 में प्रकाशनार्थ)  
सं. 14013/06/2013 - अ.भा.से.-III

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक : 9 फरवरी, 2015

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आबंटित महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से स्थायी करते हैं :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री/श्रीमती)	बैच	स्थायी करने की तारीख
1	श्री के. वी. कुरुन्दकर	2002	19.01.2013
2	श्री एस. वी. देशपाण्डे	2002	19.01.2013

  
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
फरीदाबाद (हरियाणा)।